



2026:AHC-LKO:13871-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 135 सन 2016

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव श्रम प्रशिक्षण
एवं अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

शिव शंकर 357एस/एस2015

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अरुण कुमार पांडे, आई.एम. पांडे प्रथम, के.आर. पांडे

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

(सी.एम. आवेदन संख्या 33296 / 2016 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

1. सुनवाई हुई।
2. यह विशेष अपील दाखिल करने में हुये चार दिन के विलंब को माफ करने हेतु आवेदन है, जिसके समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न है।
3. यद्यपि विशेष अपील दाखिल करने में चार दिनों का विलंब हुआ है, लेकिन प्रतिवादी के अधिवक्ता को इस विलंब को माफ किए जाने और अपील पर योग्यता के आधार पर अंतिम सुनवाई किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. विलंब को माफ करने के आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र में दिए गए कारण और स्पष्टीकरण पर्याप्त और संतोषजनक हैं, विशेषकर इसलिए कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विलंब को माफ करने हेतु आवेदन को अनुमति दी जाती है। विशेष अपील दाखिल करने में हुये विलंब को माफ किया जाता है।

(अपील के ज्ञापन पर आदेश)

अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

आदेश के लिए, दिनांकित हमारा आदेश देखें, जो विशेष दोषपूर्ण अपील संख्या 155/2016 में पारित किया गया था।

[न्यायमूर्ति मनीष कुमार]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 20, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।